न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 180/2017/223 आर टी ए

1. बीकरसिंह पुत्र भोलासिंह जाति जटसिख निवासी धौलीपाल हाल आबाद प्योरी तहसील गिदडबाहा जिला मुक्तसर पंजाब।

––अपीलांट

बनाम

1. घुकरसिंह पुत्र भोलासिंह जाति जटसिख निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. भोलासिंह पुत्र भागसिंह जाति जटसिख निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 13.04.2015 व डिक्री दिनांक 20.04.2015 न्यायालय सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़ प्र0 सं0 122/2014 अनवानी घुकरसिंह बनाम भोलासिंह

उपस्थित :–
श्री सोमप्रकाश शर्मा अधिवक्ता अपीलांट
श्री राजेशदीप राय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1
श्री गुरमोहनसिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3

निर्णय दिनांकः–13.08.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए पेश किया कि रेस्पो0 के पूर्वजो की भूमि गांव प्योरी तहसील गिदडबाहा मे थी जिसकी आय के उपार्जन से रेस्पो0 सं. 2 भोलासिंह ने अन्य भूमि के अलावा चक 10 डीएलपी के खाता सं. 17/11 मे 0.631 है0 व खाता सं. 79/53 मे 0.455 है0 तथा चक 12 एमएमके खाता सं. 13/16 की 2.746 है0 भूमि खरीद की। जिससे उपरोक्त वर्णित भूमि पैतृक सम्पति है। जिसमे रेस्पो0 सं. 1 का जन्म से हक व अधिकार निहित है। रेस्पो0 ने अर्सा पूर्व इस आराजी का गांव प्योरी की भूमि को शामिल करते हुए घरूबंटवारा कर लिया था। मुताबिक बंटवारा गांव प्योरी की भूमि रेस्पो0 सं. 2 भोलासिंह को प्राप्त हुई व चक 10 डीएलपी के खाता सं. 17/11 मे वर्णित 0.631 है0 भूमि मे से रेस्पो0 सं. 1 को व शेष बची भूमि रेस्पो0 सं. 2 को प्राप्त हुई व चक 12 एमएमके के खाता सं. 13/16 की 2.746 है0 भूमि मे से 2.024 है0 भूमि रेस्पो0 सं. 1 को व शेष बची भूमि रेस्पो0 सं. 2 को प्राप्त हुई। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद पत्र डिक्री कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से

अपीलांट प्रभावित एवं पीडित पक्षकार है। अपीलांट रेस्पो0 सं. 2 का सगा पुत्र है एवं रेस्पो0 सं. 1 का सगा भाई है। रेस्पो0 ने आपस मे संधि कर कपटपूर्वक तरीके से अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये वाद डिक्री करवा लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 2 भोलासिंह के रेस्पो0 सं. 1 घुकरसिंह व अपीलांट हकीकी पुत्र है जिससे रेस्पो0 सं. 2 के नाम की उपरोक्त वर्णित सम्पति कुल 2.746 है0 मे अपीलांट का रेस्पो0 सं. 1 व 2 के साथ बहिस्सा बराबर का हक व हिस्सा बनता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत वादपत्र मे रेस्पो0 द्वारा जानबूझकर अपीलांट पक्षकार न बनाकर एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित करवाई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होने के कारण खारिज योग्य है। इस सबंध मे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्ण आरबीजे2015 पेज 474 मे स्पष्ट उल्लेख किया है कि बिना पक्षकार बनाये न्यायालय द्वारा पारित आदेश असंगत है व इसी क्रम मे आरबीजे 2017 पेज 189 मे भी स्पष्ट किया है कि रिकार्ड मे दोनो पक्षो को सुनकर ही घोषणा की जा सकती है। इसलिये आवश्यक पक्षकारान को पक्षकार बनाकर पुनः निर्णय करने बाबत पत्रावली प्रेषित की गई। हस्तगत प्रकरण मे भी परिस्थितियां प्रस्तुत न्यायिक नजीरो के अनुकूल है। इसके अलावा स्वीकारोक्त रूप से प्रश्नगत भूमि जद्दी जायदाद है व कानूनन जद्दी जायदाद मे पिता के साथ पुत्रो व पुत्री का बहिस्सा बराबर का हक होता है, प्रश्नगत सम्पति मे अपीलांट का कानूनन रेस्पो0 सं. 2 के साथ जन्म से हक व अधिकार था व है। रेस्पो0 सं. 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी प्रस्तुत किया है व दस्तावेज लिखित दिनांक 10.05.16 रिकार्ड पर लेने का अनुतोष चाहा है। इस संबंध मे निवेदन है कि यह दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के बाद का दस्तावेज है जो हस्तगत प्रकरण के निस्तारण मे किसी भी प्रकार से सुसंगत दस्तावेज नही है तथा ना ही यह दस्तावेज की श्रेणी मे आता है। यह दस्तावेज अपीलांट की भूमि मे रेस्पो0 सं. 1 द्वारा दखलअंदाजी देने के संबंध मे पुलिस थाना हनुमानगढ़ मे प्रस्तुत किया गया था जिसका मौतविरान द्वारा राजीनामा करवाया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के संबंध मे इस दस्तावेज मे कोई उल्लेख नही है जिससे यह दस्तावेज सारहीन होने से रिकार्ड पर नही लिया जा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सकता। अधिवक्ता द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध पेश की है जो पारित निर्णय व डिक्री के 60 दिवस के भीतर प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी लेकिन पूर्ववर्ती अनुसार अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही बनाया गया जिस कारण अपीलांट को उक्त निर्णय व डिक्री का ज्ञान नही था व ज्ञान होते ही अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत कर दी गई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयानुसार बिना पक्षकार बनाये व अवैध निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने के लिए कोई मियाद अवधि निश्चित नही है व ऐसे अवैध निर्णय को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त की जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपने जवाब लिखित बहस में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट का यह कथन कतई गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने आपस मे दुर्भिसंधि कर अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना निर्णय पारित किया हो, वस्तुतः अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 व 2 का समस्त भूमि का घरू विभाजन हुआ जिसकी लिखित दिनांक 10.05.2016 को अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 व 2 के मध्य लिखापढ़ी की गई, उक्त घरूबंटवारा मौका पर लागू भी हो गया और घरूबंटवारा के तहत ही अपीलांट व रेस्पो0 के नाम भूमि राजस्व अभिलेख मे दर्ज हुई, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री मे वर्णित भूमि रेस्पो0 सं. 2 के नाम थी तथा घरू विभाजन मे रेस्पो0 सं. 1 को प्राप्त हुई थी। इस कारण अपीलांट को उक्त प्रकरण मे पक्षकार बनाने की आवश्यकता नही थी। अपीलांट घरूबंटवारा दिनांक 10.05.2016 से इन्कार नही किया है। उक्त घरूबंटवारा के मताबिक ही भूमि अपीलांट के नाम दर्ज हुई थी। जिसके नामान्तरण की प्रमाणित प्रतिलिपि रेस्पो0 ने प्रस्तुत की है। अपीलांट घरूबंटवारा दिनांक 10.05.2016 के विरूद्ध कथन करने से विबंधित है। अपीलांट को निर्णय व डिक्री का शुरू से ही ज्ञान रहा है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से किसी प्रकार से प्रभावित नही है। अपीलांट का यह कथन कतई मिथ्या है कि बंटवारानामा अपील हाजा से सुसंगत दस्तावेज न हो। अपीलांट ने इस दस्तावेज के खण्डन मे कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आरबीजे 2009 पेज 16 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा आरबीजे (22) 2015 पेज482 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए मुख्य रूप से तर्क दिया कि बिना पक्षकार बनाये निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने के लिए कोई मियाद अवधि निश्चित नही है व ऐसे निर्णय को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय आरबीजे 2015 पेज 474 मे स्पष्ट उल्लेख किाय है कि बिना पक्षकार बनाये न्यायालय द्वारा पारित आदेश असंगत है व इसी क्रम मे आरबीजे 2017 पेज 189 मे भी स्पष्ट किया है कि रिकार्ड मे दोनो पक्षो को सुनकर ही घोषणा की जा सकती है। हस्तगत प्रकरण मे अपीलांट को ना तो पक्षकार बनाया गया और ना ही कोई सुनवाई का अवसर दिया गया।
6. अपीलाण्ट द्वारा यह उक्त अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाण्ट पक्षकार नही था इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी विधि सम्मत है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ दस्तावेज आंशिक सत्यप्रति राजीनामा निर्णय मे सहायक सिद्ध होने के बिन्दू को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किये जाकर संलग्न दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जाता है।
7. बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष है कि हस्तगत प्रकरण मे रेस्पो0 द्वारा अपने पिता भोलासिंह के विरूद्ध दावा प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि को जद्दी जायदाद/पैतृक होने कथन करते हुए घोषणा का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा डिक्री कर दिया जबकि रेस्पो0 सं. 1 के एक भाई अपीलांट यानि रेस्पो0 सं. 2 भोलासिंह के दो पुत्र है जबकि दावा केवल मात्र रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अपने पिता भोलासिंह को पक्षकार बनाते हुए पेश किया गया और अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये जद्दी जायदाद भूमि के सबंध मे घोषणा का दावा डिक्री करवाया गया है। वादग्रस्त भूमि सांझा खाता अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 व 2 के नाम दर्ज थी। जिसमे रेस्पो0 सं. 1 व 2 के साथ अपीलांट भी आवश्यक पक्षकार था क्योंकि वादग्रस्त भूमि के संबंध मे घरूबंटवारा के अनुसार घोषणा का

अनुतोष चाहा गया था। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 2015 पेज 474, आरबीजे 2017 पेज 189 के अनुसार रिकार्ड मे दोनो पक्षो को सुनकर ही घोषणा की जा सकती है तथा बिना पक्षकार बनाये न्यायालय द्वारा पारित आदेश असंगत है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई जिसकी पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना उचित नही होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

8. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.04.2015 व डिक्री दिनांक 20.04.2015 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे अपीलांट को बतौर पक्षकार संयोजित करते हुए उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति से सहित लौटाई जावें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 13.09.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ